भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 425
दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी केन्द्रों में सुविधाएं

***425. श्री उत्तम कुमार रेड्डी:**
श्रीमती मंगल सुरेश अंगड़ी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने आंगनवाड़ी केन्द्र हैं तथा इन केन्द्रों में कितने बच्चे नामांकित हैं;
(ख) आंगनवाड़ी कामगारों तथा आंगनवाड़ी सहायकों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितना पारिश्रमिक दिया जाता है तथा बढ़ती महंगाई एवं उन्हें दिए जाने वाले अल्प वेतन के दृष्टिगत उसमें कितनी वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है;
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ऐसे आंगनवाड़ी केन्द्र कितने हैं जिनके पक्के भवन हैं, जहां नल से जल की आपूर्ति होती है और शौचालय सुविधा उपलब्ध है;
(घ) प्रत्येक बच्चे के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार चावल, दालें, अनाज, तेल, सब्जियां, चीनी आयोडीनयुक्त नमक इत्यादि की कितनी-कितनी मात्रा निर्धारित की गई है; और
(ङ) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इन आंगनवाड़ी केन्द्रों में नामांकित प्रत्येक बच्चे को कितनी मात्रा में तथा किस स्तर की गुणवत्ता वाला भोजन दिया जाता है तथा उनके लिए अच्छी गुणवत्ता वाले भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ड.) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

'आंगनवाड़ी केन्द्रों में सुविधाएं' विषय पर श्री उत्तम कुमार रेड्डी और श्रीमती मंगल सुरेश अंगड़ी द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 425 के उत्तर के भाग (क) से (ड.) में संदर्भित विवरण

(क) : 30.06.2021 तक की स्थिति के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों की संख्या सहित आंगनवाड़ी केंद्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र संख्या **अनुलग्नक-।** में दी गई है।

(ख) : जहां तक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय का संबंध है, सरकार ने 01.10.2018 से मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 3000 रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये प्रति माह; लघु आंगनवाड़ी केंद्रों में 2250 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये प्रति माह; आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 1500 रुपये से बढ़ाकर 2250 रुपये प्रति माह कर दिया है; तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए 250 रुपये प्रति माह का प्रदर्शन से जुड़ा प्रोत्साहन शुरू किया है। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 01.04.2021 से 500 रुपये प्रति माह की दर से निष्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी अपने स्वयं के संसाधनों से इन कार्यकर्त्रियों को अतिरिक्त आर्थिक प्रोत्साहन/मानदेय का भुगतान कर रहे हैं।

(ग) : ऐसे आंगनवाड़ी केंद्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक-।।** में दी गई है जहां पक्के भवन, नल से पानी की आपूर्ति और शौचालय की सुविधाएं हैं।

(घ) : भारत सरकार आंगनवाड़ी सेवा के तहत पूरक भोजन तैयार करने के लिए एनएफएसए के तहत रियायती दर पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनाज अर्थात गेंहूं/पौष्टिक चावल/बाजरा आवंटित करती है। पूरक पोषण के तहत लाभार्थियों के लिए रेसिपी खान-पान की स्थानीय आदतों तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सरलता से उपलब्ध खाद्य सामग्री के अनुसार है।

(ड.) : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।। में उल्लिखित पोषण मानकों के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनाज आवंटित किया जाता है, जो इस प्रकार है :

क्र.सं.	**श्रेणी**	**भोजन का प्रकार**	**कैलोरी**	**प्रोटीन**
1	बच्चे (6 माह से 3 वर्ष)	टेक होम राशन	500	12-15
2	बच्चे (3 से 6 वर्ष)	सबेरे का नाश्ता और गरम पका भोजन	500	12-15
3	बच्चे (6 माह से 6 वर्ष) जो कुपोषित हैं	टेक होम राशन	800	20-25
4	गर्भवती महिलाएं और शिशुवती माताएं	टेक होम राशन	600	18-20

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अच्छी गुणवत्ता की खाद्य सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने गुणवत्ता आश्वासन, खरीद की प्रक्रिया, ड्यूटी धारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, आयुष की संकल्पनाओं के एकीकरण तथा पूरक पोषण के वितरण में पारदर्शिता, कुशलता और जवाबदेही के लिए पोषण ट्रैकर के माध्यम से डेटा प्रबंधन और निगरानी पर सुव्यवस्थित दिशा-निर्देश दिनांक 13.01.2021 जारी किए हैं। इसके तहत राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन यह सुनिश्चित करेंगे कि उपलब्ध कराए जा रहे पूरक पोषण की गुणवत्ता खाद्य सुरक्षा के मानदंडों तथा पोषक तत्वों की संरचना के अनुरूप है। निरंतर गुणवत्ता तथा प्रति सर्विंग पोषक मूल्य का सुनिश्चय करने के लिए पूरक पोषण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 तथा इसके तहत बनाए गए विनियमों के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

एफएसएसएआई के स्वामित्व वाले/पंजीकृत/पैनलबद्ध/एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से टेक होम राशन (न कि कच्चा राशन) की जांच की जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्र पर या ब्लॉक स्तर पर खाद्य सामग्री की प्राप्ति के बाद आंगनवाड़ी सेवा के पदाधिकारियों द्वारा यादृच्छिक जांच की जानी चाहिए। आंगनवाड़ी सेवा के पदाधिकारी अर्थात सीडीपीओ या पर्यवेक्षक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नमूने लेंगे और एफएसएसएआई के स्वामित्व वाले/पंजीकृत/पैनलबद्ध/एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला को जांच के लिए नमूना भेजेंगे।

गरम पके भोजन के मामले में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह उचित किचन शेडों में तैयार किया जाता हो जहां पर्याप्त स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था हो ताकि भोजन की स्वच्छता बनी रहे।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए खाद्यान्न का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटन **अनुलग्नक-।।।** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

''आंगनवाड़ी केन्द्रों में सुविधाएं'' विषय पर श्री उत्तम कुमार रेड्डी और श्रीमती मंगल सुरेश अंगड़ी द्वारा दिनांक 01.04.2022 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 425 के भाग (क) के उत्तर में 30.06.2021 की स्थिति के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) और इन केंद्रों में नामांकित बच्चों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा दर्शाते हुए अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आंगनवाडी केंद्रों की संख्या		कुल एसएनपी लाभार्थी बच्चे (6 महीने - 6 साल)	कुल पीएसई लाभार्थी बच्चे (3 वर्ष- 6 वर्ष)
		स्वीकृत	क्रियाशील		
1	आंध्र प्रदेश	55607	55607	2670523	85005
2	अरुणाचल प्रदेश	6225	6225	162040	87120
3	असम	62153	61715	3032281	1617562
4	बिहार	115009	112094	7954137	3722042
5	छत्तीसगढ़	52474	51586	2167832	1104817
6	गोवा@	1262	1262	58786	0
7	गुजरात	53029	53029	3491999	1617467
8	हरियाणा	25962	25962	1104102	430768
9	हिमाचल प्रदेश	18925	18925	395586	35919
10	झारखंड	38432	38432	1322676	602274
11	कर्नाटक	65911	65911	4073309	637111
12	केरल	33318	33115	1138541	503352
13	मध्य प्रदेश	97135	97135	5010369	726594
14	महाराष्ट्र	110486	109832	6723371	2421736
15	मणिपुर@	11510	11510	337890	0
16	मेघालय	5896	5896	437993	222012
17	मिजोरम	2244	2244	99646	21890
18	नागालैंड	3980	3980	365646	178939
19	उड़ीसा	74154	73172	3211253	1549932
20	पंजाब	27314	27304	887635	285497
21	राजस्थान	62010	61625	3440482	1340612
22	सिक्किम@	1308	1308	19953	0
23	तमिलनाडु	54439	54439	2691208	762496
24	तेलंगाना	35700	35580	1739592	697173
25	त्रिपुरा	10145	9911	325855	173494
26	उत्तर प्रदेश	190145	189309	11582963	753734
27	उत्तराखंड	20067	20048	720624	263661
28	पश्चिम बंगाल @*	119481	119481	7200814	0
29	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	720	719	17217	7056
30	चंडीगढ़	450	450	50937	26233
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	409	405	30507	15005
32	दिल्ली	10897	10755	641073	144233
33	जम्मू और कश्मीर@	30765	28078	528934	0
34	लद्दाख	1173	1140	18250	3263
35	लक्षद्वीप	107	71	4230	1381
36	पुद्दुचेरी	855	855	32771	5257
कुल		**1399697**	**1389110**	**73691025**	**20043635**

@ कोविड-19 के कारण आंगनवाड़ी केंद्र प्री-स्कूल शिक्षा नहीं चला सके

* 31 मार्च, 2021 तक उपलब्ध आंकडों के अनुसार

''आंगनवाड़ी केन्द्रों में सुविधाएं'' विषय पर श्री उत्तम कुमार रेड्डी और श्रीमती मंगल सुरेश अंगड़ी द्वारा दिनांक 01.04.2022 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 425 के भाग (ग) के उत्तर में पक्के भवनों, नल से पेयजल की आपूर्ति और शौचालय वाले आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या दर्शाते हुए अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पक्के भवन वाले आंगनवाड़ी केंद्र	नल/पाइप लाइन से पेय जल आपूर्ति वाले एडब्ल्यूसी	शौचालय की सुविधा वाले आंगनवाड़ी केंद्र
1	आंध्र प्रदेश	55405	42604	40876
2	अरुणाचल प्रदेश	0	262	458
3	असम	61471	0	38896
4	बिहार	84503	0	111468
5	छत्तीसगढ	45621	2710	47435
6	गोवा	1259	875	1262
7	गुजरात	53027	52070	51465
8	हरियाणा	25962	25662	23349
9	हिमाचल प्रदेश	17137	16751	18770
10	झारखंड	31377	3584	25547
11	कर्नाटक	56519	58597	52393
12	केरल	33075	14835	32762
13	मध्य प्रदेश	91982	8608	94018
14	महाराष्ट्र	99702	62119	56336
15	मणिपुर	1474	1847	5017
16	मेघालय	5711	1969	5587
17	मिजोरम	2244	753	2055
18	नागालैंड	284	150	1654
19	उड़ीसा	73172	5658	32728
20	पंजाब	27304	27231	24768
21	राजस्थान	61625	48784	32527
22	सिक्किम	1308	851	1306
23	तमिलनाडु	43664	39453	46540
24	तेलंगाना	29522	23070	17508
25	त्रिपुरा	9911	3245	8272
26	उत्तर प्रदेश	188982	34715	176091
27	उत्तराखंड	20020	16649	16454
28	पश्चिम बंगाल	97541	एनआर	98597
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	652	662	673
30	चंडीगढ़	450	450	450
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	351	405	405
32	दिल्ली	10740	8585	10754
33	जम्मू और कश्मीर	22280	25310	23482
34	लद्दाख	474	395	1089
35	लक्षद्वीप	71	71	71
36	पुद्दुचेरी	855	765	780
कुल		**1255675**	**529695**	**1101843**

एनआर – सूचित नहीं किया गया है

अनुलग्नक-III

आंगनवाड़ी केन्द्रों में सुविधाएं विषय पर श्री उत्तम कुमार रेड्डी और श्रीमती मंगल सुरेश अंगड़ी द्वारा दिनांक 01.04.2022 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 425 के भाग (ड.) के उत्तर में आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार खाद्यान्न आवंटन दर्शाते हुए अनुलग्नक

(मीट्रिक टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल आवंटन			
		गेहूं	चावल	पौष्टिक चावल	बाजरा
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	103	301	0
2	आंध्र प्रदेश	25228	10749	32247	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
4	असम	0	22549	42832	0
5	बिहार	0	5040	51169	0
6	चंडीगढ़	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ	32920	3588	10414	0
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	434	98	429	0
9	दिल्ली	0	0	0	0
10	गोवा	44	766	710	0
11	गुजरात	83309	3737	0	0
12	हरियाणा	26479	2252	7031	1980
13	हिमाचल प्रदेश	8093	2043	1920	0
14	जम्मू और कश्मीर	0	5149	12275	0
15	झारखंड	13602	28690	27692	0
16	कर्नाटक	15782	24234	71622	0
17	केरल	13220	2003	6009	0
18	लद्दाख	0	62	172	0
19	लक्षद्वीप	0	10	0	0
20	मध्य प्रदेश	117506	22777	19980	0
21	महाराष्ट्र	142665	10097	30921	0
22	मणिपुर	0	6501	5882	0
23	मेघालय	4168	3098	8710	0
24	मिजोरम	754	263	759	0
25	नागालैंड	0	3633	8401	0
26	उड़ीसा	54726	20908	20907	0
27	पुद्दुचेरी	0	0	240	0
28	पंजाब	17648	1823	5469	0
29	राजस्थान	71470	18756	52668	0
30	सिक्किम	426	0	56	0
31	तमिलनाडु	53840	6929	20787	0
32	तेलंगाना	19156	6545	19635	0
33	त्रिपुरा	0	2711	7973	0
34	उत्तर प्रदेश	240124	55461	166383	0
35	उत्तराखंड	11334	0	0	0
36	पश्चिम बंगाल	0	62314	98368	0
	कुल	**952928**	**332889**	**731962**	**1980**